

1058

1042



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : b6f67cd7f78ee21d7544

Receipt Date : 22-May-2023 09:22:53 pm

Receipt Amount : 36000/-

Amount In Words : Thirty Six Thousands Rupees Only

Token Number : 202300064336

Office Name : SRO - Lohardaga

Document Type : Sale Deed

Payee Name : Rajesh Sahu (Vendee)

GRN Number : 2317330047



23.05.2023

-: For Office Use :-



23.05.2023

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

मुद्रेश कुमार लखार

22-5-23

Sale Pt:- 90000/- of Pt. Lok.

Stamp:- 26000/-

FEE	PAID
A1.....	27000.00
Land Lord Fee.....	1.00
Process Fee.....	1.00
	<u>27004.00</u>

पञ्जाब प्रोपर्टी रजिस्ट्रार, इलाहाबाद कायदा
बिचौरी की पंजीकरण के अन्तर्गत
भारतीय स्टांप अधिनियम 1908 के अनुच्छेद 9 के
अनुसार का संख्या के अधिनियम के अन्तर्गत
का स्टांप शुल्क से दिनांक 23/05/2023 कायदा पंजीकरण नहीं

Valuation Per Decimals
Land 19613/-

23.05.2023
बिचौरी पदा, नोट
(कारकाय)



22/05/2023
22/05/2023

विक्रय प्रत्यक्ष प्रतिक्रियित भूमि
की माली के अस्तित्व में है।
23/05/23

नाम लेख्यकारी, बिकेता, (VENDOR):-
श्री दुर्गा चरण सिन्हा, उम्र 64 वर्ष, पिता स्व० देवी चरण
सिन्हा, दादा स्व० मंगला चरण सिन्हा, पेशा वकालत,
निवास स्थान 390/B रोड न०-4, अशोक नगर, थाना
डोरण्डा, जिला रांची।

PAN-ALDPS5640L UID-xxxx-xxxx-8764 Ph-9006748775
(Category-General, CNT Act 1908 से आच्छादित नहीं हैं।)
द्वारा मोख्तारआम श्री मुकेश कुमार साहु, उम्र 45 वर्ष,
पिता स्व० शिवब्रत साहु, दादा स्व० गणेश साहु, पेशा
गृहस्थी, निवास स्थान कोर्ट रोड, मैना बगीचा लोहरदगा,
थाना वो जिला लोहरदगा, झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय।






UID-xxxx-xxxx-7388 Ph-7903873094
(Category-General, CNT Act 1908 से आच्छादित नहीं हैं।)
Attorney dated 28-03-2022 Book-IV Volume-26 Page 1 to 52 Deed No. 265 of
Registry office Ranchi.

मूल मालिकान पत्र एवं अन्य
सम्बन्धी पत्र से मिलान किया, बही पाया।

मूल मालिकान पंजी से
मिलान किया गया।



सुदेश ठाकुर साहू
23/05/2023

Little finger	Ring Finger	Middle Finger	Four Finger	Thumb
				

10-1

सुदेश ठाकुर साहू
 23/05/2023

23.05.2023

पुलिस कार्यालय, लोहरावाडा
 जिल्हा पोलीस ठाणे

23 MAY 2023

नाम लेख्यधारी, केता, (VENDEE):-

श्री राजेश साहु, उम्र 56 वर्ष, पिता स्व० शिवबत साहु,
दादा स्व० गणेश साहु, पेशा व्यापार, निवास स्थान कोर्ट
रोड, मैना बगीचा लोहरदगा, थाना वो जिला लोहरदगा,
झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय।

PAN-CHMPS8668D UID-XXXX-XXXX-2082 Ph-8327732494

(Category-General, CNT Act 1908 से आच्छादित नहीं हैं।)

लेख्य प्रकार: - बिक्रय पत्र।

(Absolute sale deed)

सम्पति का मुल्य: - मो० 9,00,000/ नौ लाख रुपये।

सम्पति का विवरण: - मवाजी 03 डि० तीन डिसमिल
जमीन हकियत रैयती कायमी म्युनिसिपल सर्वे प्लॉट न०
52 में से बिक्री का रकबा 03 डि०, वाके मौजे नदिया
थाना न० 195, थाना लोहरदगा, जिला लोहरदगा। मुतल्के
कलक्टरी डि० रजिस्ट्रार वो डि० सब रजिस्ट्रार मो०
लोहरदगा। यह कि उपरोक्त सम्पति दखल में लेख्यकारी
के चला आ रहा है। बिक्रय सम्पति हर प्रकार के नुक्स से
पाक वो साफ है अगर किसी प्रकार का नुक्स होगा तो
लेख्यकारी उसको पाक वो साफ कर देंगे वो उसके
जवाबदेह वो देन्दार होंगे। अन्दर जमीन्दारी झारखण्ड
राज्य द्वारा अंचलाधिकारी लोहरदगा माल सालाने मो० 3/
रु०। जो नगरपालिका लोहरदगा वार्ड न० 3, होल्डिंग न०
0030000281000A3 के अन्तर्गत है। मुख्य पथ से दूर।

परमानन्द कुमार
पिता - बिहारी उषाच साहु
कोर्ट रोड लोहरदगा
9102875079

मुद्रा लोहरदगा
22/05/2023

सम्पत्ति का विवरण

म्यु0 प्लाट न0 52 में से रकबा 03 डि0 दर्जा आवासीय

जिस पर मकान बना हुआ नहीं है। मैप के अनुरूप जो साथ पट्टा के संलग्न है वो रंग लाल से दिखाया गया है जिसका नाप मैप: -

उत्तर जानिब पू0 से प0 45 फीट
दक्षिण जानिब पू0 से प0 45 फीट
पूरब जानिब 30 से द0 29 फीट
पश्चिम जानिब 30 से द0 29 फीट

चौहद्दी: -

पूरब: - पार्ट म्यु0 प्लाट न0 52
पश्चिम: - पार्ट म्यु0 प्लाट न0 52
दक्षिण: - 10 फीट — चौड़ा रास्ता
उत्तर: - पार्ट म्यु0 प्लाट न0 52

यह घोषित किया जाता है कि उपरोक्त सम्पत्ति सरकारी नहीं है वो न सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई है वो यह भी घोषित किया जाता है कि खनन, वन सीमा या भू हद बंदी के अन्तर्गत नहीं आती है वो मन्दिर, मठ, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा या सरना आदि की नहीं है वो पूर्व में बिकी नहीं की गई वो न आदिवासी खाते की है। वो यह भी घोषित किया जाता है के यह जमीन छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(b) के दायरे में आने वाली अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की नहीं है।

सुदीप कुमार साह
22/05/2023

22/05/2023
सुदीप कुमार साह

यह कि उपरोक्त सम्पति का म्युनिसिपल खेसरा लेख्यकारी के दादा मंगला चरण के नाम बना।

यह कि उपरोक्त सम्पति आपसी बटवारा रजिस्ट्री ता0 19.05.1956 ई0 निबंधन संख्या 763 रजिस्ट्री ऑफिस लोहरदगा के द्वारा हिस्सा में लेख्यकारी के पिता देवी चरण सिन्हा को मिला।

यह कि उपरोक्त सम्पति का दाखिल के पश्चात देवी चरण सिन्हा के नाम रसीद कटता चला आ रहा है वो अंचल के पंजी-II Volume-1 Page-121 में अंकित है।

यह कि देवी चरण सिन्हा के स्वर्गवास के पश्चात उनके तीन पुत्रों दुर्गा चरण सिन्हा, गोलडेन सिन्हा वो डायमण्ड सिन्हा वो दो पुत्रियों रूपा सिन्हा वो दीपा सिन्हा के बीच आपसी बटवारा में बिकी की जाने वाली सम्पति खास हिस्सा में लेख्यकारी दुर्गा चरण सिन्हा को मिला वो दखल में चला आ रहा है।

यह के लेख्यकारी, लेख्यधारी से मो0 9,00,000/ रुपये लेकर उपरोक्त सम्पति को साथ लेख्यधारी के पुर्ण अधिकार के बेचा वो बिकय पत्र लिखा वो बिकेता के स्थान पर केता को दखल कार किया चाहिये के केता तथा उनके उत्तराधिकारी एके बा दिगरे उपरोक्त बिकय सम्पति पर कायम काबिज दखल कार हो कर वो रह कर उपरोक्त प्लाट पर मकान बनावें या जैसी इच्छा हो करें। अब आज के तारीख से किसी प्रकार का अधिकार वो दावा वास्ता या सरोकार उपरोक्त बिकय सम्पति पर बिकेता या उनके उत्तराधिकारी का बाकी नहीं रहा वो न भविष्य में होगा। अब आज के रोज से पुर्ण अधिकार एवं स्वामित्व उपरोक्त बिकय सम्पति पर केता तथा उनके उत्तराधिकारी का हुआ वो होगा। वो लेख्यधारी उपरोक्त बिकय सम्पति का दाखिल खारिज वगैरह करा लें। वो माल साल ब साल अंचलाधिकारी के सिरिस्ता में भुगतान कर के रसीद अपने नाम से प्राप्त कर लिया करें।

सुदेश कुमार साहू
22/05/2023

कोई आपति बिकेता या उनके उत्तराधिकारी को न होगी इस वास्ते अपने खुशी से कुल रूपये भुगतान पाकर बिकय पत्र लिख दिया के समय पर काम आवे। विदित हो कि पावरकर्ता जीवित हैं वो पावर को रद्द नहीं किया गया है।

तारीख 23 फरवरी सन् 2023 ई0।

ड्राफ्टेड बाई नकी अखतर अधिवक्ता साकिन पावरगंज लोहरदगा मजमून लेख्यकारी स्वयं पढ़ लिये।

Certify that the finger prints of the left hand of each person whose photographs is affixed in the document have been obtained before me.

मुकेश कुमार साहू
22/05/2023



केता

(Signature)

(Signature)

(Naquee Akhtar)

Enrolment No. JH716/2014



मानकर्ता

(Signature)

शोभन साहू

विमल कुमार साहू

पिता - रामकुमार साहू

ग्राम+पो- चौराई बाना - चान्दा
जिला - राँची


मोबा नं - 9386248823

आधार नं - 2089-8878-3604



प्रमाणित किया जाता है कि केता, विक्रेता एवं
मानकर्ता का नाम प्रमाणित होयेयुक्त दस्तावेज
में प्रमाणित किया है या विक्रेता के
नाम का स्वयं सत्य है इसमें किसी भी प्रकार
का बदलाव एवं जाहलताकी पाए जाने पर मैं स्वयं
जम्मेदार रहूँगा /

मुकेश कुमार साहू



समक्ष,

नोटरी पब्लिक, लोहरदगा

शपथ पत्र

मैं मुकेश कुमार साहु पिता स्व० शिवब्रत साहु निवासी कोर्ट रोड मैना बगीचा
वार्ड नं. 8 लोहरदगा थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा झारखण्ड एतद् द्वारा शपथ
पूर्वक निम्नलिखित ब्यान देता हूँ -

1. यह कि मैं उपरोक्त का स्थायी निवासी हूँ ।
2. यह कि एम.एस.प्लॉट नं. 52 जिसका होल्डिंग नं. 0030000281000A3
रकबा 03 डिसमिल वाके मौजा नदिया थाना नं. 195 थाना लोहरदगा
जिला लोहरदगा में स्थित है जो जमीन मुझे पावर ऑफ एटोर्नी दिनांक
28.03.2022 को हासिल है ।
3. यह कि पूर्व में उक्त जमीन पर मिट्टी का मकान निर्माण था जो गिरकर
समतल हो गया है इस तरह उक्त जमीन खाली है जिसपर किसी प्रकार
का कोई निर्माण नहीं है।
4. यह कि यह कि उपरोक्त बातें सत्य एवं सही है ।

यह शपथ पत्र आज दिनांक 23.5.2023 को लोहरदगा
में सम्पादित किया गया ।

उद्धे म प्रमिल लोह

शपथकर्ता
पहचानकर्ता
अधिवक्ता

Shri/Smt. Mukesh Kumar Sahu
Who has been identified by
Sri Ashish Kumar
Advocate has Solemnly Affirmed
and declare before me.

Dinesh Prasad
Notary Public, Lohardaga



70945

Registration No.

DISTRICT BAR ASSOCIATION, LOHARDAGA
DISTRICT ADVOCATE WELFARE FUND

Affiliated to Jharkhand State Bar Council, Ranchi

Use for Affidavit only

Date: 23 MAY 2023

Ret. No

13473